उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ

विज्ञापन संख्या: 06-परीक्षा/2019

सहायक बोरिंग टेक्नीशियन (सामान्य चयन) प्रतियोगितात्मक परीक्षा- 2019

ऑनलाइन आवेदन / रजिस्ट्रेशन प्रारम्भ होने की तिथि – 14-08-2019

ऑनलाइन शुल्क जमा करना प्रारम्भ होने की तिथि – 14-08-2019

परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन / ऑनलाइन शुल्क / आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि – 04-09-2019

आवेदन मे संशोधन की अंतिम तिथि – 11-09-2019

विशेष कथन- उपरोक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन व फीस जमा करने की अंतिम तिथि 04-09-2019 तक है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन/फीस स्वीकार नहीं होगी। आवेदक अपने आवेदन का प्रिंटआउट तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक कि उसकी फीस का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 04-09-2019 तक अथवा उससे एक सप्ताह के अन्दर अर्थात 11-09-2019 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में (Registered Mobile Number, Email, कैटेगरी को छोड़कर) संशोधन भी कर सकता है।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ के विज्ञापन संख्या **06-परीक्षा/2019** द्वारा सहायक बोरिंग टेक्नीशियन (सामान्य चयन) प्रतियोगितात्मक परीक्षा- 2019 के अंतर्गत, मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन **"सहायक बोरिंग टेक्नीशियन" के रिक्त पद** वेतन बैण्ड-5200 से 20200, ग्रेड पे-1900 के सदृश्य वेतन बैण्ड मैट्रिक्स लेवल-02 में रिक्त कुल 486 पदों, जिनका अनारक्षित व आरक्षित श्रेणीवार रिक्तयों का विवरण आगे बिंदु-03 की सारणी-01 में दिया गया है, पर ऑफलाइन/ऑनलाइन लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते है। **अभ्यर्थी कृपया केवल एक ही आवेदन सबमिट करें।**

1– ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना – इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति (online application system) लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन ही करें। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी कृपया नीचे दी गयी प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करें-

(अ)- आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया

आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया को निम्नलिखित पॉच भागों में विभक्त किया गया है -

1- कैन्डिडेट रजिस्ट्रेशन (Candidate Registration)

2- फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड(Photo and Signature Upload) करना

3- फार्म के शेष विवरण का भरा जाना (Filling Remaining Part of Form)

4- फीस का भुगतान तथा एप्लीकेशन फार्म सबमिशन (Fee Payment & Submit Application Form)

5- फार्म का प्रिन्टआउट लेना (Print Application Form)

नोट – अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के लिए उपरोक्त वर्णित समस्त प्रक्रियाएँ एक बार में ही पूर्ण कर सकता है।

अभ्यर्थी द्वारा आयोग की वेबसाइट http://upsssc.gov.in पर "ऑल नोटीफिकेशन/ एडवरटिजमेंट डिटेल्स" (all notification / advertisement details) पर क्लिक करने पर ऑनलाइन एडवरटिजमेंट (विज्ञापन) स्वतः प्रदर्शित होगा। **अभ्यर्थी उक्त विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ें और भली**

–भांति समझ लें कि वे विज्ञापित पद हेतु वांछित योग्यता , अनिवार्य अर्हता शैक्षिक व प्राविधिक धारित करते है तथा निर्धारित आयु सीमा (18 से 40 वर्ष) के अंतर्गत आते हैं । तदोपरांत ही आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ करें । User Instruction में अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरने से संबन्धित दिशा-निर्देश दिए गए हैं। अतः अभ्यर्थी आवेदन भरने हेतु निम्नलिखित User Instructions अवश्य पढ़ें:-

आवेदन की प्रक्रिया – (User Instructions)

भाग-1- कैन्डिडेट रजिस्ट्रेशन (Candidate Registration)

I. इस भाग में अभ्यर्थी को अपने से सम्बन्धित आवश्यक सूचना भरना होगा। प्रत्येक फील्ड के लिए सूचना भरने हेतु स्पष्ट निर्देश दिये गए हैं। अभ्यर्थी इन निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लें तथा उसी के अनुसार आवेदन पत्र भरें।

II. Registration पेज पर अभ्यर्थी को अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं जैसे -नाम, पिता/पति का नाम, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी, श्रेणी, जन्मतिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, सम्पर्क हेतु मोबाइल नंबर, इमेल पता, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता (शैक्षिक योग्यता 1 या 2 जो भी हों) का विवरण और अन्य प्रासंगिक सूचनायें सही-सही भरनी हैं।

III. वेब पेज पर नीचे की ओर "Enter Verification Code" में दिखाये गये वेरिफिकेशन कोड को प्रविष्ट करने के पश्चात **"सबमिट"** बटन पर क्लिक करें । फार्म सबमिट होते ही दूसरे पृष्ठ पर **"रजिस्ट्रेशन स्लिप"** प्रदर्शित होगी, जिसमें 11 अंको का रजिस्ट्रेशन नम्बर विवरण सहित होगा। अभ्यर्थी इसकी प्रति मुद्रित अवश्य कर लें, जिसका उपयोग भावी कार्यों हेतु किया जायेगा। यदि किसी कारण से अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन के समय रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिन्ट न कर सका हो तो वह बाद में भी वेबसाइट के Applicant Segment में Know Your Status के अंतर्गत "Print Duplicate Registration Slip" बटन पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिन्ट कर सकता है।

भाग-2- फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड (Photo and Signature Upload)

अभ्यर्थी का रंगीन फोटोग्राफ निम्न मानक के अनुरूप होना चाहिए–

I. चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए। चेहरे पर अत्यधिक चमक/ छाया नहीं होनी चाहिये।

II. ठुड्डी से शिखर तक साफ दिखता हो।

III. चेहरे के दोनों किनारे (दोनों कान) साफ दिखते हो।

IV. चश्मा पहनने की स्थिति में आँखें साफ दिखनी चाहिए और शीशा रंगीन नहीं होना चाहिए।

V. कैमरे पर नजर सीधी हो।

VI. अभिव्यक्ति तटस्थ हो (आँखें खुली, मुंह बन्द)।

VII. सफेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है।

VIII. फोटो का आकार 35 मिमी (1.4 इंच) x 45 मिमी (1.75 इंच) का होना चाहिये। जिसमें फोटो का लगभग 70% भाग चेहरे से आच्छादित हो।

IX. फोटो 6 महीने के भीतर लिया गया हो।

अभ्यर्थी अपना 3.5cm चौड़ा व 4.5cm लंबा रंगीन फोटोग्राफ *.jpe,*.jpeg,*.jpg,* प्रारूप में स्कैन करें जिसका न्यूनतम आकार 05Kb तथा अधिकतम आकार 30Kb से कम होना चाहिए तथा हस्ताक्षर 1.5 cm लंबा तथा 3.5cm चौड़ा होना चाहिए।

अभ्यर्थी वांछित सूचनाओं को प्रविष्ट करने के बाद "Continue" बटन को क्लिक करते ही दूसरे पृष्ठ पर चले जायेंगे।

भाग- -3 फार्म के शेष विवरण का भरा जाना (Filling Remaining Part of Form)

I. अधिमानी अर्हता (यदि कोई हो तो) तथा स्थाई व पत्र व्यवहार का पता आदि भी भरना होगा। इसके उपरान्त अभ्यर्थी को एक घोषणा (Declaration) से सहमत होना होगा।

घोषणा (Declaration)

वेब पेज के निचले हिस्से में अभ्यर्थियों द्वारा की जाने वाली घोषणा का प्रारूप प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि घोषणापत्र की अंतर्वस्तु का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें तथा यदि घोषणा-पत्र से सहमत हो तो Yes का चयन करें, घोषणा से असहमत होने की दशा में फॉर्म भरने के आगे की प्रक्रिया स्वतः रुक जाएगी।

अभ्यर्थीगण द्वारा आवेदन के समय पूरणीय समस्त स्तम्भो की पूरित प्रविष्टियों को प्रीव्यू पृष्ठ पर देखा जा सकेगा। यदि पूरित आंकडो में कोई संशोधन चाहते हैं तो **"बैक"** बटन को क्लिक कर प्रविष्ट विवरणों को संशोधित भी कर सकते हैं ।

जब अभ्यर्थी आवेदन की पूरित प्रविष्टियों की शुद्धता के विषय में सन्तुष्ट हो जायें तो सबमिट बटन को क्लिक कर अपने द्वारा अंकित आंकडो को अंतिम रूप से संप्रेषित करेंगें।

नोट – यदि अभ्यर्थी ने रजिस्ट्रेशन के समय अपनी कैटेगरी गलत भर दी है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी शुल्क जमा करने के पहले ही अपनी कैटेगरी में बदलाव कर सकता है और इसके उपरांत ही अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान करेगा। शुल्क जमा करने के उपरांत अभ्यर्थी अपनी कैटेगरी में बदलाव नहीं कर सकता है।

भाग- 4- फीस का भुगतान तथा एप्लीकेशन फार्म सबमिशन (Fee Payment & Submit Application Form)

(I) अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान Credit card/Debit card, Internet Banking या SBI के ई-चालान के माध्यम से बेबसाइट पर दिये गये निर्देशों का पालन करते हुये तत्काल कर सकता है। शुल्क का सफल भुगतान होते ही Payment Acknowledgment Receipt (PAR) Generate होगी जिसमें Payment का विवरण अंकित होगा। इस पर नीचे की ओर बाई तरफ प्रिंट तथा दाहिनी तरफ Proceed To Download and print The Application Form बटन को क्लिक कर अपना फार्म अन्तिम रूप से Submit कर सकता है तथा उसका एक Printout भी ले सकता है।

(II) ई–चालान के माध्यम से शुल्क का भुगतान करने हेतु अभ्यर्थी को SBI का ई-चालान download कर SBI के किसी भी शाखा में जाकर निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान करने के बाद अभ्यर्थी Applicant Segment के अंतर्गत Update Your Transaction ID By Double Verification Mode के माध्यम से आवश्यक विवरण भरने के उपरान्त तुरन्त फार्म का अगला भाग पूर्ण कर सकते हैं।

(III) यदि किसी कारण से अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान तत्काल नहीं कर पाता है तो वह शुल्क जमा करने की अवधि में मुख्य पृष्ठ पर Applicant Segment के अंतर्गत दिये गये Fee Deposition पर क्लिक कर Credit card/Debit card, Internet Banking या SBI के ई-चालान के माध्यम से बेबसाइट पर दिये गये निर्देशों का पालन करते हुये निर्धारित शुल्क का भुगतान कर सकता है।

(IV) **अभ्यर्थी फीस जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत शुल्क जमा नहीं कर पायेगा और न ही अपना आवेदन सबमिट कर सकेगा।**

(V) **शुल्क भुगतान के उपरांत अभ्यर्थी अपनी कैटेगरी में बदलाव नहीं कर सकता है।**

विशेष नोट – अभ्यर्थियों के लिए यह ध्यान देने योग्य बात है कि निर्धारित शुल्क का भुगतान Credit Card/Debit Card, Internet Banking या SBI के ई-चालान के माध्यम से ही किया जा सकता है। अन्य किसी माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किया जा सकता है। अभ्यर्थियों का आवेदन तब तक अधूरा रहेगा जब तक कि उनके द्वारा शुल्क भुगतान की कार्यवाही पूर्ण नहीं की जाती है।

(आवेदन शुल्क) – ऑनलाइन आवेदन के कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का प्रारूप भरने के बाद भाग-4 में उपरिवर्णित विधि से परीक्षा शुल्क का भुगतान करेंगे। आवेदन हेतु श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है-

क्र० सं०	श्रेणी	आवेदन शुल्क	ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क	शुल्क योग (आवेदन शुल्क + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क)
(1)	अनारक्षित (सामान्य)	160.00	25.00	185.00
(2)	अन्य पिछड़ा वर्ग	160.00	25.00	185.00
(3)	अनुसूचित जाति	70.00	25.00	95.00
(4)	अनुसूचित जनजाति	70.00	25.00	95.00
(5)	विकलांगजन हेतु	------	25.00	25.00

नोट- **स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिकों एवं महिला अभ्यर्थियों को क्रमांक से 1-4 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा।**

भाग-5 - फार्म का प्रिन्टआउट लेना (Print Application Form)

अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपना आवेदन पत्र अन्तिम रूप से सबमिट करने के उपरान्त उस एप्लीकेशन फार्म का प्रिन्ट आउट Applicant Segment में Know Your Status के अंतर्गत Print Detailed Application Form बटन पर क्लिक कर अवश्य प्राप्त कर लें। **अभ्यर्थियों को अभिलेखों की संवीक्षा के समय इस फार्म की एक प्रति प्रस्तुत करना होगा।**

यदि अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जा चुका है और अभ्यर्थी अपने आवेदन का प्रिंटआउट नहीं निकाल पा रहा है तो अभ्यर्थी Homepage पर Applicant Segment के अंतर्गत दिये गए लिंक "Update Your Transaction ID by Double Verification" पर क्लिक कर विज्ञापन की अंतिम तिथि तक अथवा उससे एक सप्ताह के अंदर प्रत्येक दशा में अवश्य प्रिंट कर ले। उसके बाद अर्थात एक सप्ताह के बाद Printout नहीं ले सकेगा।

नोट- अभ्यर्थी कृपया ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के समस्त भागों का अनुपालन निर्धारित तिथि तक अवश्य सुनिश्चित कर लें।

2 -आवेदन पत्र में संशोधन

(I) **अभ्यर्थी अंतिम रूप से आवेदन सबमिट करने के बाद केवल एक बार ही अपने आवेदन में संशोधन कर सकता है।** इसके लिए अभ्यर्थी वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर Modify Submitted Application पर click कर वांछित विवरण भरने के उपरांत जब Login करेगा तो उसके Registered mobile Number तथा Email पर एक OTP(One Time password) जायेगा इस OTP की सहायता से उसका भरा हुआ फार्म खुलेगा तथा अभ्यर्थी अपने फार्म के किसी भी Field को संशोधित कर सकता है,

परन्तु वह अपना Registered mobile Number, Email , कैटेगरी में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर सकता है।

(II) अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन के उपरांत पदों की संख्या घटा/बढ़ा नहीं सकता है।

(III) अभ्यर्थी केवल एक बार ही अपना फार्म संशोधित कर सकता है।

(IV) आवेदन पत्र में संशोधन विज्ञापन की अंतिम तिथि तक अथवा उससे एक सप्ताह के अंदर अर्थात 11-09-2019 तक ही अनुमन्य है।

3- **उपर्युक्त प्रस्तर-1 से सम्बंधित विभाग में रिक्त सहायक बोरिंग टेक्नीशियन (सामान्य चयन) प्रतियोगितात्मक परीक्षा- 2019** के कुल 486 रिक्त पदों का विभाग द्वारा प्रेषित अधियाचन में दी गयी सूचना के आधार पर पदवार एवं श्रेणीवार विवरण निम्नवत है-

सारिणी-1

					पदों की संख्या					
पद क्रम सं०	विभाग का नाम	पदनाम	वेतन बैन्ड/ वेतनमान/ ग्रेड पे	01 जुलाई, 2019 को आयु (न्यूनतम-अधिकतम) वर्षों में।	अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल पद	स्थायी/ अस्थायी
1-	मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।	सहायक बोरिंग टेक्नीशियन	5200-20200 ग्रेड पे-1900/- के सापेक्ष पे मैट्रिक्स लेवल-2	18-40	248	101	08	129	486	स्थायी
	कुल पद								486	

टिप्पणी-

1- उपर्युक्त सारणी में विभाग के सम्मुख श्रेणीवार पदों की संख्या, विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गई श्रेणीवार (अनारक्षित/आरक्षित) रिक्त पदों की सूचना पर आधारित है।

2- उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त सारणी में विभाग के सम्मुख उल्लिखित रिक्त पदों के विवरण के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों (EWSs) को एतद सम्बन्धी उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2019/4/1/2002/का-2/19-टी०सी०-II, दिनांक- 18 फरवरी, 2019 के अनुसार अनुमन्य किये गए 10% आरक्षण के सापेक्ष रिक्त पदों का विवरण नहीं दिया गया है।

3- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों (EWSs) को, एतद सम्बन्धी उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2019/4/1/2002/का-2/19-टी०सी०-II, दिनांक- 18 फरवरी, 2019 में विहित व्यवस्था का नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित करने के क्रम में जारी किये जाने वाले शासनादेशों के अनुसार, उपर्युक्त सारणी में उल्लिखित रिक्त पदों के सापेक्ष 10% आरक्षण EWSs को अनुमन्य किया जायेगा।

4- आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी बिन्दु-4 में सहायक बोरिंग टेक्नीशियन (सामान्य चयन) प्रतियोगितात्मक परीक्षा- 2019 के अंतर्गत विज्ञापित पदों हेतु विहित अनिवार्य अहर्ताएं (शैक्षिक) व प्राविधिक अवश्य पढ़ लें तथा ये सुनिश्चित कर ले कि वे पद हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) व प्राविधिक धारित

करते है तथा निर्धारित आयु सीमा जिसका उल्लेख आगे बिन्दु-05 में किया गया है, के अंतर्गत आते हैं, वे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

5- उत्तर प्रदेश की महिलाओं, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों तथा भूतपूर्व सैनिकों को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यावधिक शासनादेशों में विहित एवं विभाग द्वारा अवधारित रिक्तियों के अनुसार क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

6- **उपर्युक्त सारणी-1 में उल्लिखित पद समाज के विकलांगजन हेतु चिन्हांकित नहीं है।**

7- अभ्यर्थी को रजिस्ट्रेशन करते समय आवेदित पद को टिक (Select) करना अनिवार्य है, अन्यथा उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

8- उत्तर प्रदेश शासन के आरक्षण सम्बन्धी नवीनतम अधिनियमों अध्यादेशों /शासनादेशों में निर्धारित /नीति निर्देशों के अनुरूप अनारक्षित/आरक्षित रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।

9- **उपर्युक्त सारणी में अंकित रिक्तियों की संख्या घट/बढ़ सकती है।**

क्षैतिज आरक्षण का विवरण -

उपर्युक्त सारणी-1 में उल्लिखित रिक्त पदों के सापेक्ष विभाग द्वारा क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत श्रेणीवार रिक्तियों का उपलब्ध कराया गया विवरण निम्नवत है-

सारिणी-2

क्र० सं०	विभाग का नाम	पदनाम	क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी	पदों की संख्या
1-	मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।	सहायक बोरिंग टेक्नीशियन	(i)- स्व० संग्राम सेनानी के आश्रित	09
			(ii)- विकलांग	00
			(iii)- सैन्य वियोजित/भूतपूर्व सैनिक	24
			(iii)- महिला	97

नोट- विकलांग कल्याण अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश दिनांक- 13.01.2011 के अनुसार सहायक बोरिंग टेक्नीशियन का प्रश्नगत पद विकलांगजनों हेतु चिन्हांकित नहीं है। अतः शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति प्रश्नगत पदों पर भर्ती हेतु पात्र नही होंगे।

विशेष टिप्पणी - आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWSs) को आरक्षण अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण बिन्दु-

(1)- प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के ऐसे (EWSs) अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था से आच्छादित नहीं है, तथा उत्तर राज्य के ही मूल निवासी है, को कार्मिक अनुभाग-02, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2019/4/1/2002/का-2/19-टी०सी०-II, दिनांक- 18 फरवरी, 2019 में विहित व्यवस्था के क्रम में कार्यालय ज्ञाप के बिन्दु- 04 (क) एवं (ख) में दिए गए निर्देशों के अनुपालनार्थ बिन्दु- 4 (ख) (i) में निर्धारित मानक के अंतर्गत आते है और विहित शर्तें पूरी करते है, को सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के प्रश्नगत रिक्त पदों पर 10% आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा।

(2)- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो 10 प्रतिशत आरक्षण का दावा करते है और वे एतद सम्बन्धी कार्यालय ज्ञाप दिनांक- 18 फरवरी, 2019 के बिन्दु- 04 (ख) (i) के अंतर्गत पात्र/अर्ह है, को बिन्दु- 04 (ख) (III) में विहित व्यवस्था के अनुसार "परिवार की आय और

परिसंपत्ति का प्रमाण-पत्र सम्बंधित क्षेत्र के तहसीलदार से अनिम्न (अन्यून) अधिकारी द्वारा जारी /प्रमाणित प्रमाण-पत्र , जो आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया गया हो, अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

(3)- उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-18 फरवरी, 2019 में विहित व्यवस्थायों के नियमानुसार अनुपालन के सम्बन्ध में शासन द्वारा जो भी प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी, को इन पदों पर भर्ती के सन्दर्भ में लागू किया जायेगा।

(4)- उत्तर प्रदेश शासन का उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक- 18 फरवरी, 2019 (URL- http:/shasnadesh.up.nic.in/GO/ViewGOPDF_list_user.aspx?id1=MSMxNjMjMiMyMDE5) पर उपलब्ध है।

4 - अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)- उपर्युक्त सारणी-1 में उल्लिखित सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित अनिवार्य अर्हताएं (शैक्षिक व अन्य) तथा अधिमानी अर्हताएं आवेदन की अंतिम तिथि तक धारित करना अपरिहार्य है-

(1)- अनिवार्य अर्हता – (शैक्षिक)

(एक)- माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की हाईस्कूल की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो,

(दो)- (क)- राजकीय प्राविधिक केंद्र या राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र, लाल डिग्गी पार्क, गोरखपुर द्वारा दिया गया नलकूप मैकेनिक पाठ्यक्रम में प्रमाणपत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई प्रमाण-पत्र अभ्यर्थी के पास होना आवश्यक है ;

या

(ख)- निम्नलिखित किसी व्यवसाय में सेवा योजन एवं प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा दिया गया न्यूनतम दो वर्ष के पाठ्यक्रम का प्रमाणपत्र या राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, भारत सरकार द्वारा दिया गया तीन वर्ष का राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र अभ्यर्थी के पास होना आवश्यक है :

(एक)- मशीन मिस्त्री (मशीनिष्ट)

(दो)- फिटर

(तीन)- वायरमैन

(चार)- टर्नर।

(2)- अधिमानी अर्हता – अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, जिसने-

(1)- प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या ,

(2)- राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

5 - (1)- **आयु सीमा** – सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के प्रश्नगत पदों पर भर्ती हेतु आयु गणना की निर्णायक तिथि 01 जुलाई, 2019 है। उक्त तिथि 01 जुलाई, 2019 को अभ्यर्थी ने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 02 जुलाई, 1979 से पूर्व तथा 01 जुलाई, 2001 के बाद न हुआ हो।

(2) उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ऐसी अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट हो।

शासनादेश दिनांक 28.11.1985 के अनुसार वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाडियों को अधिकतम आयु में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।

(3) भूतपूर्व सैनिको के लिए अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट 01 जुलाई, 2019 को इस शर्त के साथ अनुमन्य होगी कि उनकी सम्पूर्ण सेवावधि को उनकी वास्तविक आयु में से घटा कर, परिणाम स्वरुप शेष आयु निर्धारित आयु से 03 वर्ष से अधिक न हो। भूतपूर्व सैनिक श्रेणी हेतु आरक्षित पदों के सापेक्ष आवेदन करने एवं आरक्षण का दावा करने वाले भूतपूर्व सैनिकों को कार्मिक अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या- 17/1/82-कार्मिक-2, दिनांक- 03 अक्टूबर, 1990 में विहित **"भूतपूर्व सैनिकों की परिभाषा"** के अंतर्गत परिभाषित होना आवश्यक है और ऐसे अभ्यर्थियों को आवेदन की अंतिम तिथि तक सेना से कार्यमुक्त होना अनिवार्य है।

6- आरक्षण- (i)- उ० प्र० की अनुसूचित जातियों / उ० प्र० की अनुसूचित जनजातियों, उ० प्र०के अन्य पिछड़े वर्गो को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यावधिक विद्यमान शासनादेशों/विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा। इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत आने वाली श्रेणियों यथा – उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित / भूतपूर्व सैनिक तथा उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को भी विद्यमान अद्यावधिक शासनादेशों/अध्यादेश/अधिनियम के अनुसार रिक्तियाँ बनने पर नियमानुसार आरक्षण अनुमन्य होगा।

(ii) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Sections) (EWSs) के लिए आरक्षण-

(1)- प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने वाले **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWSs)** के ऐसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था से आच्छादित नहीं है, तथा उत्तर प्रदेश राज्य के ही मूल निवासी है, को कार्मिक अनुभाग-02, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2019/4/1/2002/का-2/19-टी०सी०-II, दिनांक- 18 फरवरी, 2019 में विहित व्यवस्था के क्रम में कार्यालय ज्ञाप के बिन्दु-04 (क) व (ख) में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में बिन्दु-4 (ख) (1) में निर्धारित मानक के अंतर्गत आते है और विहित शर्तें पूरी करते है तो सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के रिक्त पदों (राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों) पर 10% आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा।

(2)- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो 10 प्रतिशत आरक्षण का दावा करते है और वे एतद सम्बन्धी कार्यालय ज्ञाप दिनांक- 18 फरवरी, 2019 के बिन्दु- 04 (ख) (i) के अंतर्गत आते है, को बिन्दु- 04 (ख) (III) में विहित व्यवस्था के अनुसार "परिवार की आय और परिसंपत्ति का प्रमाण-पत्र सम्बंधित क्षेत्र के तहसीलदार से अनिम्न (अन्यून) अधिकारी द्वारा जारी /प्रमाणित प्रमाण-पत्र, जो आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया गया हो, अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

(3)- उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-18 फरवरी, 2019 में विहित व्यवस्थायों के नियमानुसार अनुपालन के सम्बन्ध में शासन द्वारा जो भी प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी, उसे प्रश्नगत पदों पर भर्ती के सन्दर्भ में लागू किया जायेगा।

आरक्षण / आयु में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबन्धित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट-8 में मुद्रित तथा वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र/आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, जो आवेदन की अंतिम तिथि तक अथवा आवेदन की तिथि तक जारी किया गया हो, अवश्य प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाए तब उन्हें उक्त प्रमाण पत्र आयोग में प्रस्तुत करने होंगे।

7- परीक्षा के सम्बन्ध में विशेष नोट -

(i) यदि विज्ञापित पदों के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्याधिक होती है और आयोग के लिए विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एक ही शिफ्ट में या

एक साथ एक ही दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता है तो उक्त लिखित परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जा सकती है। यदि परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जाती है तो Normalization की प्रक्रिया लागू की जा सकती है। इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

(ii) Normalization की उक्त प्रक्रिया के सम्बन्ध में, आयोग की सूचना संख्या-42/05/विज्ञा०अनु०(ग्यारह)/2019, दिनांक- 22 मई, 2019, जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, द्वारा अभ्यर्थियों को पहले ही सूचित किया जा चुका है।

8- चयन का आधार – लिखित परीक्षा (ऑफलाइन/ऑनलाइन)- आयोग सहायक **बोरिंग टेक्नीशियन (सामान्य चयन) प्रतियोगितात्मक परीक्षा- 2019** के अंतर्गत विज्ञापित पदों पर चयन हेतु उक्त लिखित परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन भी करा सकता है।

सहायक बोरिंग टेक्नीशियन (सामान्य चयन) **प्रतियोगितात्मक परीक्षा- 2019** के अंतर्गत विज्ञापित सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा उत्तर प्रदेश समूह "ग" के पदों के लिए सीधी भर्ती (रीति एवं प्रक्रिया) नियमावली 2015 दिनांक 11 मई 2015 और कार्मिक अनुभाग–2 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या– 04/2017/1/1/2017-का-2 दिनांक 31.08.2017 द्वारा प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय" पदों पर सीधी भर्ती (साक्षात्कार का बन्द किया जाना) नियमावली 2017 के अनुसार (ऑनलाइन/ऑफलाइन) आयोजित की जाएगी। उक्त लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम एवं परीक्षा तिथि से यथासमय सूचित किया जायेगा।

9- अभ्यर्थियों के लिए सामान्य अनुदेश-

1- उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें।

2- एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, अनुमन्य होगी।

3- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक तथा महिला अभ्यर्थियों को, जो उ०प्र० राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हे आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के माने जाएंगे। उ० प्र० की महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

4- वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ी तथा भूतपूर्व सैनिक उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अद्यावधिक निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र पर अपना दावा प्रस्तुत करेंगे अन्यथा अभ्यर्थी द्वारा एतदर्थ किया गया दावा स्वीकार नहीं होगा।

5- उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, जैसी भी स्थिति हो, की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के पुत्र या पुत्री तथा वह अथवा उनका परिवार सामान्यतया उत्तर प्रदेश में निवास करता हो, ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र जिसमें उसके उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है, मान्य न होगा।

6- उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के पुत्र या पुत्री तथा वह अथवा उनका परिवार सामान्यतया उत्तर प्रदेश में निवास करता हो। ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र जिसमें उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है, मान्य न होगा।

7- ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित होने का दावा करते हैं उन्हे यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा एतदर्थ प्रस्तुत प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम,1993 यथासंशोधित के अनुक्रम में जारी शासनादेश दिनांक 21 अप्रैल, 2015 के साथ संलग्न

प्रारूप पर तथा यह कि स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी उत्तर प्रदेश के अधिवासी है या फिर वह तथा अभ्यर्थी स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी का (1) पुत्र और पुत्री (विवाहित या अविवाहित) अथवा (2) पौत्र अर्थात (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) या पौत्री अर्थात (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) विवाहित या अविवाहित हैं।

8- ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक रूप से विकलांग होने का दावा करते हैं, उन्हे यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा एतदर्थ आवेदन के साथ प्रस्तुत प्रमाण पत्र, कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-18/1/2008-का-2-2008, दिनांक 03 फरवरी, 2008 में निर्धारित प्रारूप पर तथा यह कि उक्त प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी की विकलांगता का प्रतिशत स्पष्ट रूप से उल्लिखित है।

9- जो अभ्यर्थी केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में सेवारत हैं वे अपने सेवायोजक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें जिसे मांगे जाने पर आयोग को प्रस्तुत करना होगा। प्रारम्भ में अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है, परंतु इस आधार पर विलंब से प्राप्त आवेदन पत्रों को कालबाधित माना जाएगा।

10- राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उ० प्र० शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 2-ई.एम. /2001-का-4-2013, दिनांक 27 अगस्त, 2013 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

11- ऐसे पुरुष अभ्यर्थी जो विवाहित हैं तथा जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले से ही एक जीवित पत्नी है, पात्र नहीं समझे जाएंगे। बशर्ते कि राज्यपाल महोदय द्वारा उक्त प्रतिबंध से मुक्ति प्रदान न कर दी गई हो।

12- अभ्यर्थी के अर्ह / अनर्ह होने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

13- <u>आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को उपर्युक्त बिन्दु-3 की सारणी- 1 में उल्लिखित पदों के हेतु बिन्दु-4 में विहित अनिवार्य अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि तक धारित अर्हता ही स्वीकार की जाएगी । आवेदन की अंतिम तिथि के बाद ग्रहण की गयी योग्यता/अर्हता पात्रता विचारण के अंतर्गत मान्य नहीं होंगी।</u>

14-उत्तर प्रदेश के स्वंतत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, विकलांग तथा भूतपूर्व सैनिक कोटे के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को उ०प्र०स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, विकलांग तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण अधिनियम 1993 यथा संशोधित में विद्यमान नियमानुसार उन श्रेणियों में रखा जाएगा, जिनसे वे संबन्धित हैं।

15-राज्याधीन सेवाओं एवं पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं को कार्मिक-2 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या- 18/11/1999/का-2/1999, दिनांक- 26 फरवरी, 1999 द्वारा प्रदत्त आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं को ही अनुमन्य है। महिला आरक्षण के अंतर्गत चयनित उत्तर प्रदेश राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को शासनादेश दिनांक- 26 फरवरी, 1999 एवं तदानुक्रम में जारी अन्य शासनादेशों में विहित निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए उन श्रेणियों में रखा जाएगा, जिनसे वे संबन्धित हैं।

16-आवेदन स्वीकार किये जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को सारिणी -1 में उल्लिखित पद के सापेक्ष बिन्दु-4 में विहित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। अतः अभ्यर्थी आवेदन करते समय यह भली भांति सुनिश्चित कर ले कि जिस पद के लिए वे आवेदन कर रहे है उसके लिए वे विज्ञापन में दी गयी योग्यता धारित करते हैं, तब ही आवेदन करें।

17- आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (E.W.Ss) के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी के परिवार की समस्त स्रोतों (वेतन , कृषि, व्यापार व व्यवसाय आदि) से आय आवेदन करने के वर्ष के पूर्व वर्ष की आय रुपए 08 लाख से कम है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (E.W.Ss) को 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने सम्बन्धी उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक– 18.02.2019 में विहित शर्तों को पूरा करते है, तो उन्हें 10% आरक्षण (E.W.Ss) अनुमन्य होगा।

10- अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश –

1- किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर आयोग की प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है।

2- ऑनलाइन आवेदन सबमिट हो जाने के पश्चात्, आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि तक ही आवेदन में कोई संशोधन किया जा सकेगा। उक्त तिथि के बाद आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी की श्रेणी, उपश्रेणी, जन्मतिथि, जेंडर (लिंग) आदि में कोई परिवर्तन या संशोधन संभव नहीं होगा। अतः रजिस्ट्रेशन करते समय व आवेदन सबमिट करते समय सभी सूचनाये सही-सही भरें। गलत जेंडर (लिंग) भरने अथवा जेंडर के अनुरूप फोटो अपलोड न करने की दशा में आवेदकों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अतः गलत जेंडर न भरे और न ही गलत फोटो अपलोड करें। ऑनलाइन प्रक्रिया में आवेदक द्वारा भरी गयी सूचनाएं अंतिम है इसमें आयोग द्वारा संशोधन किया जाना संभव नहीं हैं। अतः यदि आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदन में कोई त्रुटि अभ्यर्थी के संज्ञान में आती है तो अभ्यर्थी आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि तक उक्त संशोधन अवश्य कर लें।

3- हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।

4- आयु एवं शैक्षिक योग्यता की पुष्टि में अंकपत्र, प्रमाण पत्र, उपाधि की स्वप्रमाणित प्रति मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा।

5- परीक्षा की तिथि, समय तथा केन्द्रों आदि के संबंध में अनुक्रमांक सहित प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचना दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केंद्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केंद्र में किसी भी दशा में परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। इस सम्बन्ध में अनावश्यक पत्राचार न करें।

6- आवेदन पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख न करने, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर आवेदन "सबमिट" नहीं होगा।

7- निर्धारित साइज़ की फोटो अपलोड न करने तथा निर्धारित स्थान पर स्पष्ट हस्ताक्षर न करने अथवा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर न करने पर अभ्यर्थियों का आवेदन तथा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

8- आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दी गयी सूचनाओं के आधार पर लिखित परीक्षा में औपबंधिक प्रवेश देगा, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी द्वारा गलत सूचना दी गयी थी और वह अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन प्रारम्भिक स्तर पर स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, उक्त स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि नियुक्ति हेतु संस्तुति भी कर दिया गया हो तो आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी। इस सम्बन्ध में आयोग में निर्णय अंतिम होगा।

9- कदाशय अर्थात परीक्षा भवन में नकल करने/कराने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यहार तथा अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली परीक्षाओं से प्रतिवारित (DEBAR) किया जा सकता है।

10- आयोग किसी भी अभ्यर्थी से व्यक्तिगत पत्राचार नही करता है। सभी सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की जाती है अतः सभी परीक्षार्थियों/अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे परीक्षा से संबन्धित सभी सूचनाओं हेतु लगातार आयोग की वेबसाइट को देखते रहें।

11- नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियमों में अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा।

12- ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदन "सबमिट" करने की अंतिम तिथि तक वांछित अनिवार्य अर्हता/अर्हताएँ (शैक्षिक व अन्य) नहीं रखते हैं वे प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों के सापेक्ष आवेदन न करें क्योंकि वे पात्र नहीं हैं। आवेदन की अंतिम तिथि तक धारित वांछित अनिवार्य अर्हताएं ही पात्रता विचारण हेतु स्वीकार की जाएँगी। आवेदन की अंतिम तिथि के बाद ग्रहण की गयी कोई भी योग्यता (अनिवार्य अथवा अधिमानी) पात्रता विचारण हेतु स्वीकार नहीं की जाएगी।

13- आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के संबंध में कोई परामर्श नहीं देते हैं । इसलिए अभ्यर्थी को विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और वे तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो जाए कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप अर्ह हैं ।

14- किसी अनाचार/कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/ अपराधिक वाद लंबित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन / चयन के संबंध में सिफ़ारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग की परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित करने का अधिकार आयोग का होगा ।

15- यदि अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने में कोई कठिनाई हो रही है तो दूरभाष नंबर 0522-2720814 द्वारा अथवा आयोग की वेबसाइट http://upsssc.gov.in के Homepage पर उपलब्ध FAQ के माध्यम से अपनी कठिनाई/ समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं ।

16- **अभ्यर्थी द्वारा उक्त पदों के लिए एक से अधिक आवेदन करने की दशा में अन्तिम आवेदन ही "सबमिट" स्वीकार होगा, शेष सभी आवेदन निरस्त माने जाएंगे ।**

17 - ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, आवेदन शुल्क/ परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने तथा आवेदन स्वीकार "सबमिट" किए जाने की अंतिम तिथि 04-09-2019 है ।

13/08/2019

सचिव,
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
लखनऊ ।

परिशिष्ट–8

उ0प्र0 की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के लिए जाति प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... सुपुत्र/सुपुत्री श्री ..... निवासी ग्राम ..... तहसील ..... नगर ..... जिला ..... उत्तर प्रदेश राज्य की ..... जाति के व्यक्ति है जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय–समय) पर संशोधित हुआ) / संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी ..... तथा अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ..... ग्राम ..... तहसील ..... नगर ..... जिला ..... में सामान्यतया रहता है।

स्थान .....

दिनांक .....

मुहर .....

हस्ताक्षर .....

पूरा नाम .....

पद का नाम .....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/

अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... सुपुत्र/सुपुत्री श्री ..... निवासी ग्राम ..... तहसील ..... नगर ..... जिला ..... उत्तर प्रदेश राज्य की ..... पिछड़ी जाति के व्यक्ति है। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... पूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची–दो (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता–पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय 8 लाख रूपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी ..... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम ..... तहसील ..... नगर ..... जिला ..... में सामान्यतया रहता है।

स्थान .....

दिनांक .....

मुहर .....

हस्ताक्षर .....

पूरा नाम .....

पद का नाम .....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

उ०प्र० के विकलांगों के लिये प्रमाण–पत्र

CERTIFICATE FOR PHYSICALLY HANDICAP OF U.P.

NAME & ADDRESS OF THE INSTITUTE/HOSPITAL

Certificate No..... .....

DISABILITY CERTIFICATE

This is certified that Shri/Smt./Kum. ... .

Son/Wife/Daughter of Shri .... age .....

Sex .... identification mark (S) ..... is suffering from permanent disability of following category.

A. Locomotor of cerebral palsy:

(i) BL-Both legs affected but not arms

(ii) BA-Both arms affected

(a) Impaired reach

(b) Weakness of grip

(iii) BLA-Both legs and both arms affected

(iv) OL-One leg affected (right or left)

(a) Impaired reach

(b) Weakness of grip

(c) Ataxic

(v) OA-One arm affected

(a) Impaired reach

(b) Weakness of grip

(c) Ataxic

(vi) BH-Stiff back and hips (Cannot sit or stoop)

(vii) MW-Musculer weakness and limited physical endurance.

B. Blindness or Low Vision:

(i) B-Blind

(ii) PB-Partialy Blind

C. Hearing Impairment:

(i) D-Deaf

(ii) PD-Partialy Deaf

(Delete the category whichever is not applicable)

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve /not likely to improve. Re-assessn of this case is not recommended/is recommended after a period of .... year ..... months.

3. Percentage of disability in his/her case is ..... percent.

4. Sh./Smt./Kum. ..... meets the following physical requirements discharge of his/her duties:

(i)	F-can perform work by manipulating with figers.	Yes/No
(ii)	PP-can perform work by pulling and pushing	Yes/No
(iii)	L-can perform work by lifting	Yes/No
(iv)	KC-can perform work by kneeling and couching.	Yes/No
(v)	B-can perform work by bending.	Yes/No
(vi)	S-can perform work by sitting.	Yes/No
(vii)	ST-can perform work by standing.	Yes/No
(viii)	W-can perform work by walking	Yes/No
(ix)	SE-can perform work by seeing.	Yes/No
(x)	H-can perform work by hearing/speaking.	Yes/No

(xi) RW-can perform work by reading and writing Yes/No

(Dr ... ...)	(Dr .. ..)	(Dr. ....)
Member	Member	Chairperson
Medical Board	Medical Board	Medical Board
		Countersigned by the
		Medical Superintendent/
		CMO/HQ
		Hospital (with seal)

Strike out which is not applicable.

उ0प्र0 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... निवासी ..... ग्राम ..... तहसील ..... नगर ..... जिला ..... उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित) ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी/पोती नियोजित/अनियोजित उपरोक्त अधिनियम 1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) ..... के आश्रित हैं।

हस्ताक्षर .....

स्थान .....

दिनांक .....

पूरा नाम .....

मुहर .....

जिलाधिकारी .....

सील .....

कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण–पत्र जो उ0प्र0 के मूल निवासी हैं

शासनादेश संख्या–22/21/1984–कार्मिक–2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985

प्रमाण–पत्र के फार्म – 1 से 4

प्रारूप – 1

(मान्यता प्राप्त क्रीडा/खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाडी के लिये)

सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम ..... राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाडियों के लिए प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री ..... निवासी ..... पूरा पता ..... ने दिनांक ..... से दिनांक ..... तक ..... (स्थान का नाम) में आयोजित ..... (क्रीडा/खेल–कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में देश की ओर से भाग लिया।

उनकी टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में ..... स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण–पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन/(यहाँ संस्था का नाम दिया जाये) ..... में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान .....

दिनांक .....

हस्ताक्षर .....

नाम .....

पद .....

संस्था का नाम .....

मुहर .....

नोट: यह प्रमाण–पत्र नेशनल फेडरेशन/नेशनल एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप–2

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम) ..... राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री ..... निवासी (पूरा पता) ..... ने दिनांक ..... से दिनांक ..... तक मे (क्रीड़ा/खेल–कूद का नाम) की प्रतियोगिता (टूर्नामेन्ट स्थान का नाम ..... आयोजित राष्ट्रीय ..... में उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में ..... स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण–पत्र ..... (प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान .....

दिनांक .....

हस्ताक्षर .....

नाम .....

पद .....

संस्था का नाम .....

पता .....

मुहर .....

नोटः यह प्रमाण–पत्र प्रदेशीय खेल–कूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप–3

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

विश्वविद्यालय का नाम ..... राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्त के लिये कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण–पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री ..... निवास (पूरा नाम) ..... विश्वविद्यालय की कक्षा ..... के विद्यार्थी ने दिनांक ..... से दिनांक ..... तक ..... (स्थान का नाम) में आयोजित अन्तर्विश्वविद्यालय ..... (क्रीड़ा/खेल–कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में ..... विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में ..... स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण–पत्र डीन ऑफ स्पोर्टस् अथवा इचार्ज खेल कूद ..... विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान .....

दिनांक .....

पद .....

हस्ताक्षर .....

नाम .....

संस्था का नाम .....

मुहर .....

नोटः यह प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इचार्ज खेल–कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप–4

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल–कूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

डाइरेक्ट्रेट आफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश ..... राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिये कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री ..... निवासी (पूरा पता) ..... में ..... स्कूल में कक्षा ..... के विद्यार्थी ने दिनांक ..... से दिनांक ..... तक ..... (स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की ..... (क्रीड़ा/खेल–कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में ..... स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में ..... स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण–पत्र डायरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान .....

दिनांक .....

हस्ताक्षर .....

नाम .....

पद .....

संस्था का नाम .....

पता .....

मुहर .....

नोटः यह प्रमाण–पत्र निदेशक/या अतिरिक्त/संयुक्त या उपनिदेशक डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/शिक्षा ..... द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा।

सचिव

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण–पत्र का प्रपत्र।

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती ..... निवासी ग्राम–..... तहसील–..... नगर–..... जिला–..... उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री / श्रीमती / कुमारी (आश्रित)..... ..... पुत्र / पुत्री / पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरांकित अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री / श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी)..... ..... के आश्रित हैं।

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर .....
पूरा नाम .....
पदनाम .....
मुहर .....

जिलाधिकारी
(सील)